जवाहर नवोदय विद्यालय, रातीबड़, जिला भोपाल (म0प्र0)
वर्ष 2018–19 हेतु निविदा प्रपत्र

मूल्य रू. 200/–

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ⟹ 21.05.2018 (अपरान्ह 02.00 बजे तक)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि ⟹ 21.05.2018 (सायं 04.00 बजे तक)
निविदा खुलने का दिनॉक व समय ⟹ 22.05.2018 (प्रातः 11.00 बजे)
रसीद कं.:.................................. व दिनांक ....

निविदा की शर्ते

01	सीलबंद निविदा फार्म संलग्न प्रपत्र में दी गई सामग्री के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ जिला भोपाल द्वारा आमंत्रित किये जाते है। दिनॉक 21.05.2018 (सायं 4.00 बजे) बजे तक निविदा सीलबंद लिफाफे में जमा करवाना अनिवार्य है। सीलबंद लिफाफे .... हेतु निविदा अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। प्राप्त निविदाओं को कय सलाहकार समिति के समक्ष प्राचार्य कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय, रातीबड़ जिला भोपाल में दिनॉक 22.05.2018 (प्रातः 11.00 बजे) खोला जावेगा।
02	पैराग्राफ कमांक 03 से अंतिम में दी गई शर्तों एवं नियमों के अनुसार निविदाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह माना जाता है कि निविदादाता द्वारा शर्त कमांक 03 से अंतिम तक दी गयी सभी शर्ते व नियम मान्य है।
03	यह कि, दिये गये भाव F.O.R. जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ होंगे तथा इसमें एक्साईज ड्युटी, विकय कर, वैट कर तथा अन्य कर एवं अन्य अधिभार सम्मिलित होना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ तक सामग्री पहुँचाने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भाड़ा अथवा अन्य किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। ट्रांस्पोर्ट से माल लेने की जवाबदारी विद्यालय की नही होगी। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि निविदाकर्ता सामग्री ट्रांस्पोर्ट से भेजने की बात कहकर विद्यालय को ट्रांस्पोर्ट से सामग्री उठवाने हेतु कहते है इस प्रकार की कोई भी जवाबदारी विद्यालय की नही होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ तक सामग्री पहुँचाने की निविदाकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
04	निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की काटपीट अथवा ओव्हरराईटिंग नही होना चाहिए। यदि निविदादाता को किसी अंक में कोई परिवर्तन करना हो तो उसे साफ तरीके से काटकर परिवर्तित अंक को लिखकर वहॉ अपने पूर्ण हस्ताक्षर तथा दिनॉक द्वारा सत्यापित करें।
05	अधोहस्ताक्षरी निविदा की निम्नतम् दरों को स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं है तथा निविदा के कुछ भाग को या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने हेतु अधिकार रखते हैं। जैसा कि संलग्न निविदा में उल्लिखित समस्त सामग्री या कोई एक या एक से अधिक जैसा भी वह निर्णय लें।
06	निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह संविदा (Contract) हो जावेगा तथा ठेकेदार निविदा तथा सामान्य आर्थिक नियमों के अधीन सामग्री प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
07	ऑन–लाईन फार्म डाउनलोड करने वाले निविदा प्रस्तुतकर्ता को "प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ जिला भोपाल" के पक्ष में रूपये .... (शब्दों में .... मात्र) निविदा फार्म की कय राशि व धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा फार्म के साथ ही भेजना अनिवार्य है साथ ही विद्यालय से निविदा फार्म प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता के लिए केवल धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट भेजना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया टी0 टी0 नगर भोपाल के नाम से देय होना चाहिए अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। संविदा में दी गयी शर्तों एवं नियमों का उल्लघंन करने पर धरोहर राशि को जप्त कर लिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में धरोहर राशि को सिक्युरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा किया जावेगा जो कि प्रदत्त सामग्रियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत लिया जावेगा। यदि निविदादाता सिक्युरिटी डिपॉजिट के

	भुगतान हेतु तैयार नहीं है, तो उसे लिखित में कारण दर्शाना होगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता निविदादाता की इस प्रार्थना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के लिये अधिकृत रहेंगे।
08	यदि निविदादाता प्रदाय आदेश अनुसार मंगवाई गई सामग्री को निश्चित समय में प्रदाय करने में असमर्थ रहता है, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बाजार से उक्त सामग्री कय कर ले अथवा अन्यत्र से उक्त संविदा को पूर्ण कर चाही गई सामग्री खरीद ले। ऐसी स्थिति में अधिक भुगतान की गई अंतर की राशि निविदादाता की धरोहर राशि/बिल में से काट ली जावेगी। यदि सिक्युरिटी डिपॉजिट/धरोहर राशि से अधिक की राशि निविदादाता को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अदा कर दी गई हो तो निविदादाता को इस राशि को वापस करना होगा।
09	संलग्न प्रपत्र में सामग्री की संख्या अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार बिना कारण बताये उसके विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
10	निविदादाता को सामग्री स्वयं का नमूना निविदा खोलने के दिनॉक/स्थान पर लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा निविदादाता (ठेकेदार) को सामग्री के नमूनों का प्रदर्शन निःशुल्क करना होगा। और स्वीकृत नमूना विद्यालय में जमा करना होगा। निविदा न्युनतम मूल्य/गुणवत्ता के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। नमूनों के पैकेट पर संबंधित फर्म का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
11	ठेकेदार द्वारा भरी गयी अंकित दरें दिनॉक 30.04.2019 तक प्रभावशील रहेंगी। तथा वर्ष के दौरान अंकित दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ब्राण्डेड सामग्रियों के कय के साथ कम्पनी द्वारा यदि कोई फ्री गिफ्ट की योजना हो एवं वह पेकिंग पर चिन्हित/मुद्रित हो तो ऐसी दशा में ठेकेदार को वह सामग्री भी निःशुल्क ही देना होगी तथा उक्त सामग्री बिल में दर्शाई जाना आवश्यक होगी।
12	निविदा स्वीकृत होने की दशा में तथा कय आदेश दिये जाने पर यदि प्रदाय की गई सामग्री अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृत नमूना अनुसार नहीं पाये जाने पर सप्लाई की गई सामग्री को निरस्त कर दिया जावेगा।
13	फर्नीचर कय करने की दशा में प्रदाय किया गया फर्नीचर विद्यालय की मांग के अनुसार होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा प्रदाय किये गये फर्नीचर के ऊपर एक मेटल लेबल लगायेगा जिस पर उसका नाम पता तथा निर्माण का वर्ष अंकित होना अनिवार्य है। केवल फर्नीचर निर्माता की ही सीलबंद निविदाएँ स्वीकार की जायेगी।
14	धरोहर राशि सामग्री प्रदाय किये जाने के छः माह बाद तक विद्यालय में रखी जावेगी यदि उक्त समयावधि में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो जो खर्च की राशि को धरोहर राशि में से समायोजित कर लिया जावेगा।
15	<u>सील्ड टेण्डर के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिएः–</u> 01. संबंधित अधिकारी द्वारा चालू वर्ष का आयकर/वाणिज्य/जी0एस0टी0 कर, आदि भुगतान का प्रमाण–पत्र तथा अन्य करों का क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। 02. धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पंचानन भवन, रोशनपुरा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल में देय होना चाहिए। 03. निम्नतम् दरें एवं प्रदाय करने की दशा यदि कोई हो तो। 04. उपकरणों के संबंध में प्रिटेंड केटलॉग होना चाहिए। 05. यदि अधिकृत विक्रेता हो तो अधिकार पत्र संबंधित निर्माणकर्ता से अथवा प्रदायकर्ता से होना अनिवार्य है। 06. अधिकृत व्यक्ति के प्रत्येक पेज पर दिनांक के साथ हस्ताक्षर होना चाहिए। 07. निविदाकेता को पिछले 03 माह का जी0एस0टी0 क्लीरेंस सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
16	किसी भी दलाल के द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।

17	निविदा प्रस्तुतकर्ता के नाम से रजिस्टर्ड दुकान पता एवं पंजीयन होना अनिवार्य है। सामान्यतया फण्ड उपलब्ध होने पर बिलों का भुगतान एक माह की अवधि में किया जावेगा किंतु फण्ड उपलब्ध न होने की दशा में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्ति होने तक बिल के भुगतान हेतु इन्तजार करना होगा।
18	खरीदी जाने वाली सामगियों के बिलों का भुगतान केवल ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 से से सीधे फर्म के खाते में किया जाएगा। इसलिए सभी निविदाकर्ता से अनुरोध है कि अपनी–अपनी फर्म की बैंकिंग जानकारी जैसे–फर्म का नाम, बैंक अकाउंट नं0, बैंक का नाम, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड, बैंक का ब्रांच नाम इत्यादि निविदाफॉर्म में नीचे वर्णित कर हस्ताक्षर प्रस्तुत करें ताकि बिलों का भुगतान समय पर किया जा सकें।
19	विद्यालय से प्राप्त निविदा पत्र में ही सामग्री के भाव अंकित करें।
20	सहकारी समितियों को धरोहर राशि माफ करने के संबंध में आवश्यक प्रमाण देना अनिवार्य है।
21	धरोहर राशि चेक अथवा नगद स्वीकार नही की जावेगी। यह केवल रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा जो कि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ जिला भोपाल को देय होगा।
22	यूनिफार्म सिलाई के सम्बन्ध में सिलाई में लगने वाली सभी सामग्री टेलर्स की ही होगी केवल कपड़ा विद्यालय द्वारा दिया जावेगा। जिसकी निविदा स्वीकृत की जावेगी उस ठेकेदार को विद्यालय परिसर में ही अपनी सिलाई मशीन लाकर कपड़ों की सिलाई करनी पड़ेगी। सिलाई का कार्य संतोषजनक न होने पर बिना कोई सूचना दिये कार्य करवा दिया जावेगा। कार्य का आदेश देने के दिनॉक से 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण होना अनिवार्य है।
23	प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न अण्डरटेंकिंग भरकर देना अनिवार्य होगा।
24	पूर्णरूप से भरी निविदाएँ ही स्वीकार की जावेगी।
25	निविदादाता को प्रदाय की सामग्री के साथ विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यालय जॉच समिति के समक्ष प्रदाय किये जा रहे सामान को नापतौल करवाना होगा। नापतौल की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी। निविदाकर्ता को यह भी सूचित किया जाता है कि नापतौल करने के उपरांत तुरंत उक्त सामग्री का बिल भी उसी समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि बिल समय पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नही होता है तो बिल के भुगतान की जवाबदारी विद्यालय की नही होगी।
26	खाद्यान्य निविदादाताओं निविदा के साथ कय/विकय का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संलग्न करना अनिवार्य है।
27	निविदा प्रपत्र में चाही गई सामग्री की दरें निर्धारित/ब्राण्ड एवं तादात में ही प्रस्तुत करें। अपने स्वयं की ओर से किसी कम्पनी/ब्राण्ड विशेष की दर अंकित न करें तथा किसी भी दशा में सामग्री पर अंकित मूल्य पर डिस्काउण्ट का प्रतिशत नही लिखें अन्यथा उस सामग्री की दर स्वीकार नही की जावेगी।
28	निविदा प्रकिया में सम्मिलित निविदाकर्ता का यदि एक भी सामान चयनित होता है, तो निविदाकर्ता उक्त सामान प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा अन्यथा निविदाकर्ता की धरोहर राशि राजसात/जप्त कर ली जाएगी। जिसके लिए निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्राचार्य